भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2064

जिसका उत्तर 11.12.2025 को दिया जाना है

पीयूसी केंद्रों पर पुराने प्रदूषण परीक्षण उपकरण

2064. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) डेटा को वाहन डेटाबेस के साथ जोड़ने की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार पीयूसी केन्द्रों पर पुराने प्रदूषण जांच उपकरणों की समस्या पर ध्यान दे रही है, जिसके कारण गलत परिणाम आने और वायु प्रदूषण बढ़ने की संभावना होती है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल पीयूसी परीक्षण इकाइयों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार गाड़ियों से निकलने वाले उत्सर्जन की निगरानी करने और प्रदूषण नियमों का पालन नहीं करने वाली गाड़ियों की पहचान करने के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) 31 राज्यों में एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके प्रदूषण जांच करना लागू किया गया है। यह प्रणाली केंद्रीय मोटर यान नियमावली (सीएमवीआर), 1989 में परिभाषित विनिर्देशों और सीमा (थ्रेशोल्ड) के अनुसार उत्सर्जन मानदंडों को सख्ती से मापती है।

(ख) से (घ) वाहनों के लिए प्रदूषण जांच के क्षेत्र में बेहतर प्रवर्तन की सुविधा के लिए, एनआईसी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) संस्करण (वर्जन) 2.0 विकसित किया गया है; जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) जियो फेंस: यह एप्लिकेशन ऑटो उत्सर्जन जांच केंद्रों (एईटीसी) के 30-40 मीटर (राज्य कॉन्फ़िगरेबल) के पूर्वनिर्धारित दायरे में कार्य करेगा।

ii) तीन मीडिया फाइलों को कैप्चर किया जाना अर्थात् पंजीकरण नंबर प्लेट की इमेज; पीयूसी केंद्र के साथ वाहन की लैंडस्केप इमेज और वाहन तथा पीयूसी केंद्र को कैप्चर करने वाला 4-5 सेकंड का एक बहुत छोटा वीडियो।

(iii) जांच परिणाम का वास्तविक समय के आधार पर वाहन प्रणाली में अद्यतन किया जाता है। एक अतिरिक्त जांच के रूप में, प्रणाली (1) डिवाइस वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) (2) लाइसेंस वैधता या (3) मशीन अंशांकन की समाप्ति के साथ पीयूसी केंद्र को ब्लॉक करती है।

(iv) पीयूसीसी 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन कई मोबाइल नंबरों (राज्य-कॉन्फ़िगरेबल) के पंजीकरण की अनुमति देता है। हालांकि, एक समय में केवल एक डिवाइस को लॉगिन करने की अनुमति है।

सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से एनआईसी द्वारा विकसित अद्यतित पीयूसीसी सॉफ्टवेयर, वर्जन 2.0 को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया है।

(ड.) रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी पर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (आईसीसीटी) द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अध्ययन के लिए 510 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

*****